भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 743

04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सीएलएसएस का विस्तार

743. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का विस्तार मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) को शामिल करने के लिए किया है और यदि हाँ, तो विस्तारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और आय-वर्ग व श्रेणी-वार राजसहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) सीएलएसएस के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विशेषकर मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के बीच उक्त योजना के बारे में अत्यंत अल्प जागरूकता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय **(**एमओएचयूए**)** देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना**-**शहरी **(**पीएमएवाई**-**यू**)** का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण **(**बीएलसी**),** साझेदारी में किफायती आवास **(**एएचपी**),** 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास **(**आईएसएसआर**)** और ऋण-संबंद्ध सब्सिडी योजना **(**सीएलएसएस**)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। पीएमएवाई**-**यू योजना की

कार्यान्वयन अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, सीएलएसएस घटक को छोड़कर उसे 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत आवासों को पूरा किया जा सके। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए पीएमएवाई-यू का सीएलएसएस घटक पीएमएवाई-यू की शुरुआत से 31.03.2022 तक कार्यान्वित किया गया था। एमआईजी के लिए सीएलएसएस शुरू में 01.01.2017 से 31.12.2017 तक कार्यान्वित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया और अंत में 31.03.2021 को यह समाप्त कर दिया गया।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और योजना के तहत **1** करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 **'**सभी के लिए आवास**'** मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण **(**बीएलसी**),** साझेदारी में किफायती आवास **(**एएचपी**),** किफायती किराया आवास **(**एआरएच**)** और ब्याज सब्सिडी योजना **(**आईएसएस**)** के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देश **https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf** पर देखे जा सकते हैं।

पीएमएवाई-यू का आईएसएस घटक केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और https://pmay-urban.gov.in पर पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ आईएसएस घटक के तहत अपनी मांग दर्ज कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति पता लगा सकते हैं। इसके बाद, आवेदनों को योजना के पात्रता मानदंडों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई और सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए संबंधित प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) को भेज दिया जाता है। लाभार्थियों को पीएलआई द्वारा संवितरित ऋण के आधार पर, सीएनए द्वारा पीएलआई को सब्सिडी जारी की जाती है ताकि पीएलआई इस सब्सिडी को आगे लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दें।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऋण मेलों का आयोजन करके ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए चिन्हित पात्र

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी लाभार्थियों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, योजना का लाभ उठाने में लाभार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पीएलआई के साथ मासिक समीक्षा कर रहे हैं। लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और लाभ प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने, पीएलआई ऋणदाता संस्थाओं और ब्याज सब्सिडी के सुचारू संवितरण के लिए अपनी संबंधित शाखाओं में संपर्क विवरण के साथ योजना का विवरण भी प्रदर्शित करती हैं।

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए पीएमएवाई-यू का सीएलएसएस घटक पीएमएवाई-यू की शुरुआत से 31.03.2022 तक कार्यान्वित किया गया था। एमआईजी के लिए सीएलएसएस शुरू में 01.01.2017 से 31.12.2017 तक कार्यान्वित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था और अंत में यह 31.03.2021 को समाप्त कर दिया गया। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के लाभार्थियों के आय-समूह और श्रेणी-वार विवरण के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक I में है। पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस घटक के लाभार्थियों के आय-समूह और श्रेणी-वार विवरण के साथ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक II में है।

*****

अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के लाभार्थियों का आय-समूह और श्रेणी-वार के साथ-साथ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी		एमआईजी		कुल	
			जारी की गई केंद्रीय सब्सिडी	लाभार्थी परिवारों की संख्या	केंद्रीय सब्सिडी राशि	लाभार्थी परिवारों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सब्सिडी	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	867.60	36,399	611.06	29,122	1,478.66	65,521
2		बिहार	305.82	13,002	150.06	7,297	455.88	20,299
3		छत्तीसगढ	679.33	29,923	153.37	7,627	832.70	37,550
4		गोवा	39.64	1,560	35.04	1,581	74.68	3,141
5		गुजरात	14,432.02	5,80,412	1,366.42	63,375	15,798.44	6,43,787
6		हरियाणा	632.31	26,621	371.34	18,312	1,003.65	44,933
7		हिमाचल प्रदेश	40.48	1,715	16.99	807	57.47	2,522
8		झारखंड	174.77	7,511	149.29	7,649	324.06	15,160
9		कर्नाटक	1,141.51	49,449	1,227.05	57,480	2,368.56	1,06,929
10		केरल	621.13	26,909	121.89	5,742	743.02	32,651
11		मध्य प्रदेश	3,510.26	1,50,542	461.62	22,839	3,971.87	1,73,381
12		महाराष्ट्र	12,230.95	4,90,836	2,943.26	1,34,214	15,174.21	6,25,050
13		ओडिशा	149.89	6,889	117.30	5,867	267.19	12,756
14		पंजाब	860.83	36,049	269.33	12,755	1,130.16	48,804
15		राजस्थान	2,704.73	1,19,319	592.86	29,043	3,297.59	1,48,362
16		तमिलनाडु	1,792.64	77,485	882.39	42,629	2,675.03	1,20,114
17		तेलंगाना	1,003.01	40,320	1,047.16	48,126	2,050.18	88,446
18		उत्तर प्रदेश	2,193.52	92,723	1,298.73	62,733	3,492.25	1,55,456
19		उत्तराखंड	329.00	14,302	114.45	5,617	443.46	19,919
20		पश्चिम बंगाल	1,453.15	58,891	562.93	26,731	2,016.08	85,622
उप-योग (राज्यों में): -			**45,162.59**	**18,60,857**	**12,492.55**	**5,89,546**	**57,655.14**	**24,50,403**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	0.71	31	0.92	42	1.63	73
22		असम	45.63	1,962	36.50	1,837	82.14	3,799
23		मणिपुर	3.82	205	0.51	28	4.33	233
24		मेघालय	3.45	168	0.59	36	4.04	204
25		मिजोरम	37.54	2,080	2.12	139	39.65	2,219
26		नागालैंड	0.53	27	0.21	13	0.74	40
27		सिक्किम	3.27	142	0.96	47	4.23	189
28		त्रिपुरा	41.56	1,812	19.86	1,036	61.42	2,848
उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य): -			**136.51**	**6,427**	**61.67**	**3,178**	**198.18**	**9,605**
29	केंद्र शासित प्रदेश	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.35	14	0.22	10	0.56	24

30		चंडीगढ़	15.59	648	13.19	608	28.78	1,256
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	163.12	6,736	11.85	582	174.97	7,318
32		दिल्ली	412.83	16,893	279.70	13,083	692.53	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	59.16	2,814	11.66	618	70.82	3,432
34		लद्दाख	0.91	48	0.07	6	0.98	54
35		पुदुचेरी	32.77	1,466	13.71	686	46.48	2,152
उप-कुल (यूटी):-			**684.74**	**28,619**	**330.39**	**15,593**	**1,015.12**	**44,212**
कुल योग: -			**45,983.84**	**18,95,903**	**12,884.61**	**6,08,317**	**58,868.45**	**25,04,220**

अनुलग्नक-II

पीएमएवाई-यू 2.0 के सीएलएसएस घटक के लाभार्थियों का आय-समूह और श्रेणी-वार के साथ-साथ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी		एमआईजी		कुल	
			जारी की गई केंद्रीय सब्सिडी	लाभार्थी परिवारों की संख्या	केंद्रीय सब्सिडी राशि	लाभार्थी परिवारों की संख्या	केंद्रीय सब्सिडी जारी	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	1.12	342	0.43	121	1.54	463
2		बिहार	0.17	57	0.08	24	0.25	81
3		छत्तीसगढ	1.25	403	0.36	108	1.61	511
4		गोवा	0.07	21	0.02	5	0.09	26
5		गुजरात	38.49	10,979	6.38	1,814	44.87	12,793
6		हरियाणा	1.36	415	0.39	114	1.76	529
7		हिमाचल प्रदेश	0.04	12	0.01	4	0.06	16
8		झारखंड	0.11	34	0.07	19	0.17	53
9		कर्नाटक	1.24	404	0.37	112	1.61	516
10		केरल	0.36	116	0.10	28	0.46	144
11		मध्य प्रदेश	10.98	3,440	1.78	525	12.75	3,965
12		महाराष्ट्र	41.12	11,806	9.26	2,627	50.38	14,433
13		ओडिशा	0.16	47	0.11	32	0.27	79
14		पंजाब	2.69	817	0.46	133	3.15	950
15		राजस्थान	14.90	4,565	2.64	761	17.54	5,326
16		तमिलनाडु	2.23	686	0.74	224	2.97	910
17		तेलंगाना	1.03	321	0.33	97	1.36	418
18		उत्तर प्रदेश	7.24	2,248	1.60	460	8.84	2,708
19		उत्तराखंड	1.15	353	0.18	51	1.33	404
20		पश्चिम बंगाल	6.48	1,840	2.23	627	8.71	2,467
उप-योग (राज्य):-			**132.19**	**38,906**	**27.54**	**7,886**	**159.73**	**46,792**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
22		असम	0.09	28	0.05	16	0.15	44
23		मणिपुर	0.00	1	-	-	0.00	1
24		मेघालय	0.00	1	-	-	0.00	1
25		मिजोरम	-	-	-	-	-	-
26		नागालैंड	-	-	-	-	-	-

27		सिक्किम	-	-	-	-	-	-
28		त्रिपुरा	0.02	7	0.02	5	0.04	12
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य): -			**0.12**	**37**	**0.07**	**21**	**0.19**	**58**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1	-	-	0.00	1
30		चंडीगढ़	0.06	18	0.00	1	0.06	19
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0.75	220	0.10	30	0.85	250
32		दिल्ली	4.00	1,131	0.85	239	4.84	1,370
33		जम्मू और कश्मीर	0.01	3	0.01	3	0.02	6
34		लद्दाख	-	-	-	-	-	-
35		पुदुचेरी	0.03	11	0.02	5	0.05	16
उप-कुल (यूटी):-			**4.85**	**1,384**	**0.98**	**278**	**5.83**	**1,662**
कुल योग: -			**157.97**	**40,327**	**77.41**	**8,185**	**235.38***	**48,512**

* इसमें पोर्टल पर हाल ही में अपलोड किए गए दावों के लिए सीएनए को स्वीकृत 69.62 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।